COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 | 10रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(457)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर,भोपाल

R 907-4/17 राजस्व प्रकरण क्रमांक /२०१७

१- देवीसिंह आयु लगभग ४२ वर्ष,

२- भूपतसिंह आयु लगभग २४ वर्ष

दोनों पुत्रगण श्री माघसिंह जाति मीना

व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम अम्बाड़ी

तहसील व जिला रायसेन (म०प्र०) ----- आवेदकगण

विरुद्ध

१- म०प्र० शासन,

२- हरप्रसाद पुत्र लालजीमीना निवासी ग्राम

बोरिया तहसील विदिशा वर्तमान निवासी

बेरखेड़ी चौराहा, सलूज वाले रोड थाना

सलामतपुर तहसील सांची जिला रायसेन,

३- रामभरोसा पुत्र श्री काशीराम निवासी ग्राम

पिपलिया तहसील व जिला विदिशा,

४- भगवानसिंह, ५- राधेश्याम पुत्रगण भंवरलाल,

६- कोमलबाई पुत्री भंवरलाल,

७- अवतारसिंह, ८- प्रकाश बाबू, ९- तुलसीराम

पुत्रगण श्री भारतसिंह

१०- श्रीमति अमीनाबाई बेवा भारतसिंह

निवासी ग्राम बोरिया पाही तहसील व

जिला विदिशा (म०प्र०) - - - - - अनावेदकगण

कार्यालयीन [illegible] 16-03-17

[illegible] भोपाल [illegible] 16.3.17

द्वितीय निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५०(२) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला विदिशा (म०प्र०) प्रकरण क्रमांक १९०/ स्वमेव/ निगरानी/ २००५-०६ मध्यप्रदेश शासन विरुद्ध हरप्रसाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक २५-८-२०१५ से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर यह द्वितीय निगरानी आवेदन पत्र सम्मानीय न्यायालय में जानकारी दिनांक से समय अवधि अधिनियम की धारा ५ व पुष्टि में शपथपत्र संलग्न कर निम्नलिखित संक्षिप्त तथ्य एवं वैधानिक आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है।

(3) देवीसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

(457)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-907-एक/17 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.एस. राजपूत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की ज़ाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.०५.१९ को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	